जारी/शिक्षा केन्द्र
01/01/2018

(1)

20

(203)

संख्या :- 787/XVII-4/2017-01(82)/2014

प्रेषक,

डॉ0 रणवीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखाण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

2. निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–4

दिनांक : देहरादून 01 ~~दिसम्बर, 2017~~ जनवरी, 2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 से विभागीय पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति का क्रियान्वयन भारत सरकार के पोर्टल (https://scholarships.gov.in) के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 से समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पूर्व दशम् छात्रवृत्ति एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति का क्रियान्वयन (http://escholarship.uk.gov.in) के स्थान पर भारत सरकार के छात्रवृत्ति पोर्टल (https://scholarships.gov.in) के माध्यम से किया जायेगा।

2. भारत सरकार के पोर्टल https://scholarships.gov.in पर ऑन लाईन छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण के सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

(1) साफ्टवेयर में उपलब्ध छात्रवृत्ति आवेदन पत्र का विवरण/डाटा पात्र छात्र–छात्राओं द्वारा ऑनलाईन स्वयं फीड किया जायेगा। इसके लिए छात्र–छात्राओं को केवल एक बार ही भारत सरकार के पोर्टल https://scholarships.gov.in पर New User? Register के द्वारा अपना पंजीकरण करना होगा। वित्तीय वर्ष 2017–18 में समस्त पात्र छात्र–छात्राओं को अपना पंजीकरण भारत सरकार के पोर्टल https://scholarships.gov.in पर करना आवश्यक होगा। सफल पंजीकरण के उपरान्त छात्र–छात्राओं को भविष्य में अपने सभी छात्रवृत्ति आवेदनों हेतु एक यूजर आईडी एवं पासवर्ड एस0एम0एस0/ई–मेल अलर्ट के माध्यम से प्राप्त होगा।

(2) प्राप्त हुए यूजर आईडी का प्रयोग करते हुए छात्र–छात्रा कहीं से भी नियत अन्तिम तिथि से पूर्व अपने शिक्षण संस्थान को अपने छात्रवृत्ति आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकेंगें। छात्रवृत्ति हेतु नवीन ऑनलाईन आवेदन पत्र भारत सरकार के पोर्टल https://scholarships.gov.in पर Login for Fresh Application का प्रयोग कर भरा जायेगा। आवेदन करते समय सम्बन्धित छात्र–छात्रा द्वारा अभिलेखों जैसे छात्र–छात्रा का पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत बोनाफाईड सर्टिफिकेट, अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाण पत्र/मार्क्स–शीट तथा किसी भी सी0बी0एस0 बैंक की पासबुक का प्रथम पृष्ठ जिसमें छात्र–छात्रा का नाम/पता/बैंक एकाउण्ट संख्या एवं बैंक का आई0एफ0एस0सी0 कोड स्पष्ट रूप से दर्ज हो, की स्व–प्रमाणित प्रतियों को अपलोड करना आवश्यक होगा। ए0आई0सी0टी0ई0/एम0सी0आई0/एन0सी0टी0ई0 तथा तकनीकी शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत मान्यता

प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछडा वर्ग के अध्ययनरत छात्रवृत्ति के पात्र छात्र–छात्राओं जिनका प्रवेश काउन्सलिंग के माध्यम से हुआ हो, ऐसे छात्र–छात्राओं को काउन्सलिंग का प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। ऐसे कोर्स जिनमें काउन्सलिंग की आवश्यकता नहीं हैं अथवा छात्र–छात्राओं का प्रवेश बिना काउन्सलिंग के किया जाता है उन्हें काउन्सलिंग का प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नही हैं, ऐसे छात्र–छात्राओं को बिना काउन्सलिंग प्रमाण पत्र अपलोड किये छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा। छात्रवृत्ति/फीस प्रतिपूर्ति सर्वप्रथम उत्तराखण्ड राज्य में अध्ययनरत पात्र छात्र–छात्राओं को भुगतान किया जायेगा, तदोपरान्त धनराशि की उपलब्धता के आधार पर उत्तराखण्ड के अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त छात्र–छात्रा अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति की https://scholarships.gov.in पर सतत ऑनलाईन निगरानी कर सकते है। छात्र–छात्रा को अपने आवेदन पत्र के सम्बन्ध में प्रत्येक स्तर पर होने वाली कार्यवाही की जानकारी भी एस0एम0 एस0/ई–मेल अलर्ट के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी।

(4) एक बार ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात छात्र–छात्रा अपने आवेदन में उसी दशा में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे, यदि सम्बन्धित जनपद के समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्र के आवेदन पत्र को किसी कारणवश अस्थायी रूप से निरस्त किया गया हो।

(5) सम्बन्धित छात्र–छात्रा द्वारा ऑन लाईन फीड किये गये आवेदन पत्र का एक प्रिन्ट आउट निकाल कर उस पर हस्ताक्षर कर एवं नियत स्थान पर पासपोर्ट साईज की अपनी नवीनतम फोटो को चस्पा कर क्रमांक–2 में दर्शाये गये दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ अपने शिक्षण संस्थान में नियत अन्तिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। छात्र–छात्रा अपने भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट निकाल कर अपने सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रख सकते हैं।

(6) अगले शैक्षणिक वर्ष से छात्र–छात्राओं को ऑनलाईन नवीनीकरण छात्रवृत्ति आवेदन पत्र Renewal Online Application Form की व्यवस्था उपलब्ध होगी। जिसे छात्र–छात्रा द्वारा भरा जायेगा, भरे हुए आवेदन पत्र के साथ छात्र–छात्राओं का शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत बोनाफाईड सर्टिफिकेट, एवं विगत कक्षा/सेमेस्टर के परीक्षाफल का प्रमाण पत्र (जो सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष द्वारा निर्गत किया गया हो) की फोटो प्रति तथा आय प्रमाण पत्र की फोटो प्रति सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को ऑनलाईन प्रस्तुत किया जायेगा। नवीन ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया की भांति ही सम्बन्धित छात्र–छात्रा द्वारा ऑनलाईन फीड किये गये नवीनीकरण ऑनलाईन आवेदन पत्र का एक प्रिन्ट आउट निकाल कर, उस पर अपने हस्ताक्षर कर एवं नियत स्थान पर पासपोर्ट साईज की अपनी नवीनतम फोटो को चस्पा कर छात्र–छात्रा द्वारा विगत कक्षा/सेमेस्टर के परीक्षाफल का प्रमाण पत्र (जो सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष द्वारा निर्गत किया गया हो) तथा आय प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ संलग्न कर अपने शिक्षण संस्थान में नियत अन्तिम तिथि से पहले प्रस्तुत करना होगा। छात्र–छात्रा अपने भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट निकाल कर अपने सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रख सकते हैं।

(7) आवेदन पत्र में अंकित विवरण एवं संलग्नकों के माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेजों हेतु छात्र–छात्रा स्वयं जिम्मेदार होंगे। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाये जाने पर

छात्र–छात्रा के विरुद्ध आवश्यक विधि–सम्मत कार्यवाही की जाएगी, जिसमें छात्र–छात्रा के विरुद्ध सिविल अथवा क्रिमिनल कार्यवाही के अतिरिक्त अन्य कार्यवाही जैसे छात्रवृत्ति की वसूली एवं भविष्य में दी जाने वाली छात्रवृत्ति पर रोक लगाना आदि शामिल हो सकता है।

(8) जिन शिक्षण संस्थाओं का भारत सरकार के पोर्टल https://scholarships.gov.in पर पंजीकरण है उन्हें अपना पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन शिक्षण संस्थाओं का पंजीकरण सरकार के पोर्टल https://scholarships.gov.in पर नहीं हैं, उन शिक्षण संस्थाओं का ऑनलाईन पंजीकरण स्टेट नोडल आफिसर द्वारा किया जायेगा। स्कूल/इंस्टीट्यूट/ आई0टी0आई0 शैक्षणिक संस्थानों का ऑनलाईन पंजीकरण DISE/AISHE/NCBT Code उपलब्ध कराने के उपरान्त ही नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा। तद्पोरान्त सम्बन्धित शिक्षण संस्था को यूजर आईडी उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके उपरान्त संस्थान अपने यूजर आईडी के माध्यम से https://scholarships.gov.in का उपयोग कर संस्था में प्रचलित पाठ्यक्रमों एवं अद्यतन फीस स्ट्रक्चर की mapping कराना सुनिश्चित करेंगें।

(9) सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष छात्र–छात्राओं द्वारा प्रेषित किये गये ऑनलाईन आवेदन पत्रों को निर्धारित की गयी तिथि के अन्तर्गत परीक्षण करने के उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी को ऑनलाईन प्रेषित किये जायेगें। यदि किसी आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष द्वारा इस सम्बन्ध में अपनी सुस्पष्ट टिप्पणी अंकित की जायेगी। संस्थाध्यक्ष को निर्धारित तिथि के अन्तर्गत परीक्षण के उपरान्त आवेदन पत्रों को जिला समाज कल्याण अधिकारी को ऑनलाईन अग्रसारित किया जाना आवश्यक होगा। सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थान को छात्र–छात्राओं से प्राप्त मूल आवेदनों एवं उनके संलग्नकों को हार्ड कॉपी को शिक्षण संस्था द्वारा अपने कार्यालय में भविष्य के सुलभ सन्दर्भ (जांच आदि) हेतु संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जाएगा। संस्थान द्वारा ऑनलाईन सॉफ्टवेयर से Proposal (छात्रों की सूची) Generate कर इसकी हार्ड कॉपी को सम्बन्धित जनपद के समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय को नियत अवधि में अग्रसारित करना होगा तथा शासन/विश्वविद्यालय/शुल्क निर्धारण समिति द्वारा पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित फीस स्ट्रक्चर की प्रमाणित प्रति एवं सम्बन्धित शासन/ विश्वविद्यालय/अखिल भारतीय तकनीकी प्रौद्योगिकी/मेडिकल/शैक्षिक परिषद से मान्यता से सम्बन्धित अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों को भी उक्त Proposal के साथ प्रेषित करना होगा। यदि संस्थाध्यक्ष द्वारा इस शासनादेश में दी गयी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में लापरवाही बरती जाती है तो विभाग सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष के विरुद्ध विधि–सम्मत कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

(10) सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी–

(अ) जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र को निम्न आधार पर स्थायी रूप से निरस्त किया जा सकेगा। (i) यदि छात्र–छात्रा द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र में अंकित की गयी आय निर्धारित आय से अधिक हो। (ii) यदि छात्र–छात्रा द्वारा जाति से सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया हो (iii) यदि छात्र गत वर्ष की कक्षा में अनुर्त्तीण हो गया हो।

(ब) जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र को अरथायी रूप से केवल इस आधार पर निरस्त किया जा सकेगा, यदि आवेदन पत्र में कोई ऐसी त्रुटि रह गयी हो जिसे ठीक कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, अस्थायी रूप से निरस्त किये गये आवेदन पत्र को सम्बन्धित छात्र–छात्रा द्वारा त्रुटि का निराकरण करते हुए निर्धारित समय के अन्तर्गत सीधे ऑनलाईन जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को अग्रसारित किया जायेगा।

(11) छात्रवृत्तियों के वितरण में पारदर्शिता लाये जाने हेतु तथा फर्जी रूप से छात्र–छात्राओं के प्रवेश की रोकथाम हेतु निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1. पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के शतप्रतिशत भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा नामित समाज कल्याण विभाग से इतर अधिकारियों के द्वारा कराया जायेगा।

2. भौतिक सत्यापन करते समय जांच अधिकारी सूची में अंकित छात्रों के भौतिक सत्यापन के अतिरिक्त मुख्य रूप से जाति, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, गत वर्ष में उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाण पत्र, सम्बंधित संस्था में संचालित कोर्स की मान्यता एवं कोर्स हेतु निर्धारित फीस स्ट्रक्चर आदि सूचनाओ की जॉच करेगा। जॉच में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा विलम्ब के लिये सम्बंधित जांच अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

3. उत्तराखण्ड राज्य के बाहर के जनपदों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के भौतिक सत्यापन हेतु जिस जनपद में छात्र–छात्रा अध्ययनरत है उस जनपद के जिलाधिकारियों को प्रेषित की जायेगी, जिसकी जांच आख्या सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा छात्र–छात्रा जिस जनपद का मूल निवासी है, के जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

(12) सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी सम्बन्धित संस्थान द्वारा प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने के उपरान्त ई–बिल तथा पात्र छात्र–छात्राओं के नाम एवं सी0बी0एस0 खातों का विवरण सहित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को ऑनलाईन प्रेषित करेगें। सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क का भुगतान सीधे सम्बन्धित छात्र–छात्रा के सी0बी0एस0 खाते में सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृति योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों (Guide line) के अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आदि की धनराशि को सीधे छात्र–छात्रा के व्यक्तिगत खातें में भुगतान करने के निर्देश हैं। डी0बी0टी0 योजना के अन्तर्गत भी भारत सरकार द्वारा धनराशि को सीधे लाभार्थियों के खातों में भुगतान किये जाने का प्राविधान है। अतः भविष्य में छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं उनके शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान सीधे छात्र–छात्राओं के राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोले गये सी0बी0एस0 खातों के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण हेतु उक्त प्राविधान शिक्षण सत्र वर्ष 2017–18 से लागू होगें जिसके लिए समय–सारिणी निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती है–

(5)

(199)

क्र0स0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	निर्धारित अन्तिम तिथि
1	छात्र–छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु online आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना।	31.01.2018
2	संबधित शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा प्राप्त आनलाईन आवेदन पत्रों को जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जाना	15.02.2018
3	सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अस्थायी रूप से निरस्त किये जाने वाले आवेदन पत्रों की तिथि	28.02.2018
4	सम्बन्धित छात्र–छात्रा द्वारा पुनः त्रुटि ठीक कर आवेदन पत्र को समाज कल्याण विभाग को प्रेषित करने की तिथि।	28.02.2018
6	सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की जॉच जिलाधिकारी द्वारा कराया जाना।	28.02.2018
7	सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा ई0बिल तथा पात्र छात्र–छात्राओं की सूची सम्बंधित कोषाधिकारी को उपलब्ध कराया जाना।	25.03.2018
8	सम्बंधित कोषाधिकारी द्वारा पात्र छात्रो के सी.बी.एस. खातो में छात्रवृत्ति/शुल्क का स्थानान्तरण किया जाना	31.03.2018

(14) दशमोत्तर कक्षाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं के माता–पिता/अभिभावकों की आय सीमा ₹2.50 लाख निर्धारित है, अन्य पिछडा वर्ग के छात्र–छात्राओं के माता–पिता/अभिभावकों की आय सीमा ₹1.00 लाख निर्धारित है तथा विकलांग छात्रवृत्ति हेतु छात्रों के माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय ₹24000/–निर्धारित की गयी है।

(15) उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2017–18 से पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 01 से 10 की कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विकलांग एवं अन्य पिछडी जाति के छात्र–छात्राओं हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं को भी भारत सरकार के पोर्टल https://scholarships.gov.in के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा। जिस हेतु समस्त शिक्षण संस्थाओं को जिलास्तरीय एक लॉगईन एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा। प्राप्त लॉगइन पासवर्ड का प्रयोग करते हुए समस्त शिक्षण संस्थायें अपनी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्रों के आवेदन पूर्व की भांति भारत सरकार के पोर्टल https://scholarships.gov.in पर ऑनलाईन किया जायेगा।

(16) पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 1 से 8 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं के माता–पिता/अभिभावकों के लिए आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है तथा कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत छात्रों के माता–पिता/अभिभावकों के लिए आय सीमा ₹2.00 लाख निर्धारित है। किन्तु अन्य पिछडी जाति पूर्व दशम (कक्षा 03 से 10) हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आने वाले छात्र–छात्राओं के माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय ₹44500/–निर्धारित है। इसी प्रकार विकलांग छात्रवृत्ति कक्षा 01 से 08 तक के पात्र छात्र–छात्राओं के माता– पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय ₹ 24000/–निर्धारित है।

3

(17) अन्य पिछडी जाति छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत एक विद्यालय में कक्षा 03, 04 एवं 05 में प्रति कक्षा केवल एक–एक छात्र–छात्रा को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार कक्षा 06 में दो एवं कक्षा 07 एवं 08 में तीन–तीन छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। अन्य पिछडी जाति छात्रवृत्ति योजना कक्षा 03 से 08 तक 50 प्रतिशत केन्द्र पोषित तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा पोषित है। अतः पिछडी जाति छात्रवृत्ति के अन्तर्गत छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान सर्वप्रथम निर्धनतम छात्र से प्रारम्भ करते हुए अवरोही क्रम में किया जायेगा।

(18) कक्षा 1 से 10 तक की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडी जाति एवं विकलांग छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत ऑनलाईन छात्रवृत्ति के स्वीकृति एवं वितरण हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

(अ) कक्षा 1 से 10 तक की कक्षाओं में छात्रवृत्ति के पात्र छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति सूची निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा सॉफ्टकॉपी में तैयार करायी जायेगी। छात्रवृत्ति सूची में मुख्य रूप से छात्र–छात्रा का नाम, छात्र–छात्रा के पिता का नाम, छात्र–छात्रा की कक्षा, छात्र–छात्रा का स्थायी पता, जाति, छात्र–छात्रा के माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय (कक्षा 01 से 08 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छोड़कर) छात्र–छात्रा का सी0बी0एस0 बैंक का खाता संख्या तथा आई0एफ0एस0सी0 कोड तथा आधार संख्या आदि का उल्लेख होगा। छात्रवृत्ति सूची को निर्धारित प्रारूप पर तैयार करने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा छात्रवृत्ति की सॉफ्टकॉपी एवं हार्डकॉपी को सीधे जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित समय के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी तथा हार्ड कॉपी की एक प्रति प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में जॉच हेतु सुरक्षित रखी जायेगी। सम्बंधित प्रधानाध्यापक द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उनकी संस्था में छात्रवृत्ति का कोई भी पात्र छात्र–छात्रा छात्रवृत्ति प्राप्त करने से वंचित न रहे, इस हेतु सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र भी समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा कि उनके विद्यालय का कोई भी पात्र छात्र–छात्रा जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जा रही ऑनलाईन छात्रवृत्ति सूची में अंकित करने से वंचित नही रह गया है। छात्रवृत्ति सूची में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाये जाने पर सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाध्यापक जिम्मेदार होगें।

(19) जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त ऑनलाईन proposal (छात्र–छात्राओं की सूची) को जांच हेतु जिलाधिकारी द्वारा समाज कल्याण विभाग से इतर नामित अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी, जांच अधिकारी सम्बन्धित विद्यालय में जाकर सूची में अंकित छात्र–छात्राओं के भौतिक सत्यापन के अतिरिक्त मुख्य रूप से जाति, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, गत वर्ष में उर्तीण छात्र–छात्राओं का परीक्षाफल आदि सूचनाओ की जॉच करेगें तथा शासनादेश में निर्धारित की गयी, समय सीमा के अन्तर्गत अपनी जांच आख्या जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायेगें। जॉच में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा विलम्ब के लिये सम्बंधित जांच अधिकारी जिम्मेदार होगें। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शासनादेश में निर्धारित की गई व्यवस्था के अनुसार जांचोपरान्त छात्रवृत्ति का ऑनलाईन भुगतान सम्बन्धित छात्र–छात्रा अथवा छात्र–छात्रा के माता पिता/अभिभावक के साथ खोले गये संयुक्त सी0बी0एस0 बैंक खातों के माध्यम से सुनिश्चित

किया जाएगा। कक्षा 01 से 05 तक के छात्र–छात्राओं के सी0बी0एस0 बैंक खाते उनके माता–पिता/अभिभावको के साथ संयुक्त रूप से खोले जायेंगे। इसी प्रकार कक्षा 06 से 10 तक के छात्र–छात्राओं का बैंक खाता छात्र–छात्राओं के स्वंय के नाम से अथवा छात्र–छात्राओं तथा उनके माता–पिता/अभिभावक के साथ संयुक्त रूप से खोला जायेगा।

(20) कक्षा 01 से 10 की कक्षाओं में छात्रवृत्ति भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती है–

(अ) सर्वप्रथम छात्रवृत्ति का भुगतान शासकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को किया जायेगा, तदोपरान्त अशासकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

(ब) सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों को जांचोपरान्त स्वीकृत करने के उपरान्त ई–बिल तथा पात्र छात्र–छात्राओं अथवा उनके अभिभावकों के संयुक्त सी0बी0एस0 बैंक खातों का विवरण सहित सूचना कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के अन्तर्गत छात्रवृत्ति का भुगतान सीधे सम्बन्धित छात्र–छात्राओं एवं छात्र–छात्राओं के माता–पिता/अभिभावक के साथ खुले संयुक्त सी0बी0एस0 बैंक खातें के माध्यम से किया जायेगा।

(21) छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण हेतु शिक्षण सत्र वर्ष 2017–18 से समय–सारिणी निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती है –

कक्षा–01 से 10 की कक्षाओं हेतु छात्रवृति स्वीकृति एवं वितरण हेतु निर्धारित समय–सारणी।

क्र0 स0	प्रकियात्मक कार्यवाही	निर्धारित अन्तिम तिथि
1	सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा ऑन लाईन छात्रवृति सूची तैयार कर जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित करना।	31.01.2018
2	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रों का भौतिक सत्यापन से सम्बन्धित कार्य कराना।	28.02.2018
3	समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जांचोपरान्त कोषागार के माध्यम से छात्रो/अभिभवाको के सी0बी0एस0 बैंक खातो मे छात्रवृति की धनराशि का ऑनलाईन भुगतान करना।	25.03.2018

(22) इस ऑनलाईन प्रणाली द्वारा छात्र–छात्राओं व संस्था के छात्रवृत्ति के प्रकरणों का त्वरित तथा पारदर्शिता के साथ निराकरण सम्बन्धी तथा अन्य लाभों को देखते हुए यह व्यवस्था एन0आई0सी0 के तकनीकी सहयोग से समस्त जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है। प्रत्येक जनपद के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के कार्यालय में स्थापित आई0टी0सैल के द्वारा अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त निदेशक, समाज कल्याण तथा निदेशक, जनजाति कल्याण

13

196

द्वारा स्वयं अथवा आई0टी0सैल के माध्यम से उक्त स्थापित व्यवस्था की प्रत्येक माह समीक्षा करायी जायेगी तथा तदनुसार रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जायेगी। यदि किसी जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शासनादेश में किये गये किसी भी प्राविधान का उल्लंघन किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

छात्रवृत्ति योजनाओं के ऑनलाईन क्रियान्वयन के सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त शासनादेशों को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

21/12/2017

(डॉ0 रणवीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 787/XVII-4/2017–01(82)/2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव–मा0 मंत्री, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड़ को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. महालेखाकार, ओबराय विल्डिंग, माजरा, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
6. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड़, देहरादून।
7. निजी सचिव–सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
8. निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड़।
12. समस्त मुख्य शिक्षाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (डी.आई.ओ. एन.आई.सी.) उत्तराखण्ड।
15. नोड़ल अधिकारी, समाज कल्याण, आई0टी0सैल, देहरादून।
16. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

O/C